न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 121/2024

अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवम् 136 एल.आर.एक्ट

परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर पुत्री श्री गुरमुख सिंह पत्नी श्री हर्षपिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 26 एल एन पी लाधूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राज.) हाल निवासी माहणी खेड़ा जिला श्री मुक्तसरसाहिब (पंजाब)

–– वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

–– प्रतिवादी

उपस्थित– अधिवक्ता श्री संदीप कुमार (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी)

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.02.2025

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीया के नाम से वाके चक 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला भू०अ०नि. क्षेत्र गणेशगढ़, तह० व जिला श्रीगंगानगर, खाता जगपिन्द्र कौर संख्या 45, खाता संख्या पुराना 25 के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 12/2, 13, 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मुरब्बा नं. 45 में 1 ता 5, 7 ता 14, 18 ता 22 व कुल रकबा 6.3210 हैक्टेयर रकवा में से 263/6321 हिस्सा रकबा, राजस्व रिकॉर्ड मुताविक जमावंदी 2073–2076 दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद पत्र है। वादीया का विवाह से पूर्व नाम परमजीत कौर था तथा विवाह के उपरान्त वादीया के ससुरालवालों ने वादीया का नाम जगपिन्द्र कौर रख दिया । वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र में नाम जगपिन्द्र कौर है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में वादीया का नाम परमजीत कौर है तमाम दस्तावेजात की फोटो प्रति संलग्न वाद पत्र है । वादीया का नाम जगपिन्द्र कौर है लेकिन वादीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में परमजीत कौर दर्ज है। जमाबन्दी व पहचान के दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने के कारण मिलान नहीं होने के कारण वादीया भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। इसलिए वादीया राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर करवाना चाहती है । वादीया द्वारा प्रतिवादी को कई बार नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया लेकिन दिनांक 20.06.2024 को प्रतिवादी द्वारा वादीया को यह हिदायत दी गई कि आप न्यायालय में दुरूस्ती आदेश लेकर आओ तभी हम राजस्व रिकॉर्ड में नाम दुरूस्ती करेंगे। यही वाद कारण है । वाद पत्र श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है । लिहाजा दावा वादीया पेश करके अर्ज कि फरमाया जावे :–

क – वादीया का वाके चक वाके चक 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला भू०अ०नि. क्षेत्र गणेशगढ़, तह० व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 45, खाता संख्या पुराना 25 के मुरब्बा नं. 42 के किला नं. 12/2, 13, 14, 17 ता 19, 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, मुरब्बा नं. 45 में 1 ता 5, 7 ता 14, 18 ता 22 व कुल रकबा 6.3210 हैक्टेयर रकवा में हिस्सा नहरी रकबा राजस्व रिकॉर्ड में नाम परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर किया जाकर, इसी नाम से खातेदारी दर्ज की जावे ।

ख :– अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 4872 दिनांक 28.08.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित तथ्यानुसार विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि उक्त प्रकरण में पटवारी हलका से रिपोर्ट ली गई। मुताबिक जांच रिपोर्ट पटवारी हलका आराजी चक 26 एलएनपी के खाता संख्या 45/25 तथा 45 में परमजीतकौर पुत्री गुरमुखसिंह जाति जटसिख सा. गणेशगढ़ के नाम 0.263 हैक. नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक पटवारी हलका मुकताह परमजीतकौर को ससुराल में जगपिन्द्रकौर के नाम बुलाया जाता है आधार कार्ड में जगपिन्द्रकौर नाम अंकित है। मौके पर मौजूदा लोगों ने बताया कि परमजीतकौर और जगपिन्द्रकौर एक ही महिला के नाम है ।

वादीया द्वारा साक्ष्य वादी में करणी सिंह पुत्र गुरमुख सिंह जाति जट सिख निवासी 26 एलएनपी, लाधुवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत 2073–2076, ग्राम 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र गणेशगढ़ खाता संख्या 45/25 की प्रति पेश की।. वादीया स्वयं का पेन कार्ड प्रमाण पत्र, वादी के नाम आधार कार्ड की प्रति, चुनाव पहचान पत्र की प्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत लाधुवाला द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 22.07.2024 का परिचय प्रमाण पत्र का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर के निर्णय दिनाक 02.07.2024 की प्रति प्रस्तुत की गई। अतः प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवम तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया गया।

–::आदेश ::–

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर चक 26 एलएनपी, पटवार हल्का लाधुवाला भू०अ०नि. क्षेत्र गणेशगढ़, तह० व जिला श्रीगंगानगर, खाता संख्या 45, खाता संख्या पुराना 25 में परमजीत कौर पुत्री गुरमुख सिंह हिस्सा 263/6321 जाति जट सिख सा. गणेशगढ़ खातेदार नहरी रकबा राजस्व रिकार्ड में नाम परमजीत कौर के स्थान पर परमजीत कौर उर्फ जगपिन्द्र कौर पुत्री गुरमुख सिंह दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम हक्कानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 28.02.2025 को जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर